

निगां 5774/2018/रीवा/श्रीवा

न्यायालय श्रीमान् सदस्य महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किट कोर्ट

रीवा म०प्र०



अधि० श्री सुरजीत सिंह
द्वारा केशा 22-9-18

श्री. राजेश कुमार
सिस्टम ऑफिसर

विनोद सिंह पिता मुरारज सिंह उम्र 24 साल पेशा कृषि,
निवासी ग्राम सतपुरा, तहसील त्योथर, जिलारीवा म०प्र०

— निगरा नीकर्ता

वनाम

श्री मती सुनीता देवी पत्नी रामचन्द्र द्विवेदी उम्र वर्ष पेशा घरकाम
निवासी ग्राम सतपुरा, तहसील त्योथर, जिलारीवा म०प्र०

— गैरनिगराकार

निगरानी विरुद्ध आदेश श्रीमान् अपर आयुक्त
महोदय रीवा संभाग रीवा केन्द्रिय अपील
प्रकरण क्रमांक 1628/ अपील/ 17-18 में
पारित आदेश दिनांक 17-7-18

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म०प्र० मुराजस्व
संहितासन 1959

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्नलिखित है:-

- 1- यहकि विद्वान अधी० न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि
एवम न्यायिक प्रक्रिया के अनुरूप न होने के कारण काकिले
निरस्तगीके है।
- 2- यहकि विवादित आराजी का मूल नं०5था जिसमे

Handwritten signature


विनोद सिंह

10
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक निग 5774 / 2018 / रीवा / भू-रा0

जिला-रीवा

विनोद सिंह / श्रीमती सुनीता देवी

(1)	(2)
18.12.18	<ol style="list-style-type: none">1. आवेदक की ओर से श्री सुरजीत सिंह अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी अपर कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के प्रकरण क्रमांक 1628/अपील/2017-18 में पारित आदेश दिनांक 17.07.2018 के विरुद्ध इस न्यायालय में दिनांक 22.09.18 प्रस्तुत की गयी है।2. म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत निगरानी सुनने की अधिकारिता इस न्यायालय को नहीं है। अतः आवेदक को सक्षम न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत करने हेतु मूलतः वापस किया जाता है। निगरानी की छायाप्रति प्रकरण के साथ रखी जाये।3. इस न्यायालय का प्रकरण समाप्त किया जाता है, तत्पश्चात प्रकरण दा.द. हो। <p style="text-align: right;"> सदस्य</p>